न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 26/2016

1— श्री रामकरण पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट
2— श्री जीवराज पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट
निवासीगण गांव देह मजरा देवपुरा (शिखरानी) तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर,
------प्रार्थीगण

ब ना म

1— श्री देवकरण पुत्र श्री गोकल जाति तेली
2— श्री गोपी पुत्र श्री घासी जाति तेली
3— श्री भागचन्द पुत्र श्री नथमल जाति महाजन
निवासीगण ग्राम शिखरानी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान।
4— श्री शिवराज पुत्र श्री लादू जाति जाट
5— श्री गोपाल पुत्र श्री लादू जाति जाट
निवासीगण गांव देह मजरा देवपुरा (शिखरानी) तहसील बिजयनगर,
6— श्रीमति न्याली पत्नी श्री भाणू जाति रावत
7— श्रीमति ग्यारसी पत्नी श्री जयसिंह जाति रावत
निवासीगण गांव बनेडिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर, राजस्थान।
8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर
------अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम शिखरानी पटवार मंडल शिखरानी प्रथम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2175 रक्बा 10—14—00 बिस्वा उनकी संयुक्त खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शिखरानी की जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 541 में ख0 न0 2175 रक्बा 10—14—00 बिस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि —

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम शिखरानी स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 2175 रक्बा 10—14—00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 3000/— कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:44:08 IST
Reason: SelfAttested